ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.20, No.4, Oct. –Dec., 2025/15

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रों की घटती उपस्थितिः कारण और निदान

डी0 पी0 तिवारी

https://doi.org/ 10.61410/had.v20i4.255

भारत वर्ष उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संरचना के साथ अपने देश की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है। इस विषय पर इतना जोर इसलिए भी दिया जा रहा है कि हर कमी की पीछे आंख मूंद कर अशिक्षा को उत्तरदाई कारण मान लिया जाता है। वर्तमान उच्च शिक्षा संरचना में अनेक विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध महाविद्यालय सम्मिलित हैं। जून 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 1338 विश्वविद्यालय हैं जिनमें 57 केन्द्रीय विश्वविद्यालय[1], 495 राज्य विश्वविद्यालय[2], 136 मानद विश्वविद्यालय[3], 482 निजी विश्वविद्यालय[4] हैं। इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 52,081 महाविद्यालय हैं। अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को मिलाकर इनकी संख्या 70,683[5] हो गई है। इनमें स्नातक और परास्नातक स्तर की शिक्षा के साथ शोध कार्य भी संपादित किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रण में 156 राष्ट्रीय महत्व के स्वायत्तशासी संगठन संचालित हैं जिनमें 26 भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान, 21 भारतीय प्रबन्ध संस्थान, 07 राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 26 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त विविध विषयों के 216 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र हैं। अब तक भारतीय शिक्षण संस्थानों के 51 देशों के साथ एमओयू भी किए जा चुके हैं तथा भारतीय विश्वविद्यालयों ने विदेशों में अपने कैंपस स्थापित करने प्रारम्भ कर दिए हैं। प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने शाखा संस्थान खोलने की अनुमति भी प्रदान की जा चुकी है[6]। उच्च शिक्षा को सहज और सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी, सेंट्रल सेक्टर इंट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम, क्रेडिट गारण्टी फण्ड स्कीम फॉर लोन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी प्रारम्भ की गई हैं। भारत के इन उच्च शिक्षण संस्थानों में लगभग 16,00,000 शिक्षक कार्यरत हैं तथा बहुत बड़ी संख्या में सहायक आचार्य, सह आचार्य, एवं आचार्यों के पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा के इन शिक्षण संस्थानों में लगभग 3.25 करोड़[7] से अधिक छात्र नामांकन करा कर अध्ययनरत हैं किन्तु वास्तविक रूप से विशेषकर गैर तकनीकी, गैर व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रतिदिन कक्षा में नियमित रूप से आकर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या चिंताजनक रूप से कम होती जा रही है। कहीं–कहीं तो मात्र 10 से 20 प्रतिशत तक ही छात्र इन संस्थानों में आते हैं जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा और भी न्यून होती है। प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में इस नियम की व्यवस्था है कि उन्हीं छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय जिनकी कुल उपस्थिति 75 प्रतिशत रही हो। इस नियम की अनदेखी के कारण परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या लगभग पूर्ण होती है। मात्र

• पूर्व कुलपति, ज0 मी0 आ0 विश्वविद्यालय, कोटा

वही छात्र परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं जिनका या तो शिक्षण शुल्क न जमा हो अथवा जो किसी विशेष परिस्थिति (छात्र की शादी होने, गम्भीर रूप से बीमार होने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि एक होने, परिवार में आकस्मिक दुर्घटना होने, कहीं नौकरी लग जाने आदि) के कारणों से प्रभावित हों। जो छात्र परीक्षा में उपस्थित हो जाते हैं उनका परीक्षाफल अच्छा या संतोषजनक होता है। यानि कि उनमें अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या न के बराबर होती है। यही सुयोग छात्रों को दैनिक रूप से कक्षाओं में उपस्थित न होने वाली प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि किन परिस्थितियों में और किन कारणों से ये छात्र बिना कक्षा में उपस्थित हुए, बिना पूर्ण पाठ्यक्रम पढ़े हुए उत्तीर्ण हो जाते हैं? इसके लिए सामान्य रूप से छात्र नकल मार्ग का अनुशरण करते हैं जिसे रोकने का सटीक उपाय अभी भारत में विकसित नहीं हुआ है। क्योंकि छात्र बल का सामना आसान नहीं होता है और जो इसे रोकने का प्रयास करते हैं वे कभी न कभी किसी अवसर पर सार्वजनिक रूप से धक्का–मुक्की, गाली–गलौज या विधिवत अपमान के शिकार हो जाते हैं जिससे अन्य शिक्षक कभी न भूलने वाला सबक पा जाते हैं। परिणामतः कभी–कभी तो यह भी देखा जाता है कि छात्रों की दृष्टि में अच्छा बने रहने और उनसे सेवा प्राप्त करने की आशा से कुछ गुरुजन उनकी मौन अथवा प्रभावी मदद भी कर देते हैं। नकल कराने में अभिभावकों का प्रयास, मित्रों का सहयोग तो अखबारों में सुर्खियों में छपता ही रहता है। कुछ उत्साही मित्र अपने मित्र की जगह परीक्षा देने का बखूबी प्रयास किया करते हैं। छुप–छुप कर नकल करने वाले या सामूहिक रूप से नकल कर परीक्षा देने वाले छात्रों को अच्छे अंक तो प्राप्त नहीं होते हैं किन्तु वे परीक्षा उत्तीर्ण अवश्य कर लेते हैं। दूसरे छात्रों का अपने शिक्षकों के साथ एक स्वाभाविक सहिष्णुतापूर्ण संबन्ध होता है। प्रायः शिक्षक का अपने विद्यार्थी के प्रति उदार दृष्टिकोण होता है और उसकी यही उदारता छात्र को फेल करने नहीं देती। कभी–कभी जो शिक्षक किसी प्रशासनिक व्यस्तता, शोध कार्यों में संलिप्तता, राजनैतिक–सामाजिक गतिविधियों में अनुराग या निजी कारणों से नियमित कक्षाओं में अध्यापन नहीं कर पाते हैं वे जान बूझ कर सभी छात्रों को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर अपनी कमियों पर मोटा पर्दा डाल लेते हैं। इनके अतिरिक्त इस समस्या के पीछे एक उत्तरदाई कारण यह भी है कि सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाने से परीक्षा का कार्य दो गुना हो गया है। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में दो बार परीक्षा होने से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य भी द्विगुणित हो गया है। मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य का एक कटु सच यह है कि वरिष्ठ शिक्षक इस कार्य से कतराते हैं क्योंकि उनके समक्ष पैसे की कोई समस्या नहीं होती है और उत्तर पुस्तिकाओं का सुचितापूर्ण मूल्यांकन उनका कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है, यह उन्हें स्मरण नहीं रहा। इस कार्य में अधिक रुचि कम आय वाले अतिथि प्रवक्ता या कम सेवा काल वाले शिक्षक ही लेते हैं जो कम समय में अधिक से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर कार्य को पूर्ण करने का यत्न करते हैं। ऐसे में उत्तर पुस्तिकाओं का सरसरी तौर पर मूल्यांकन होता है और छात्र द्वारा कम अंक की शिकायत न हो सके, वे अधिक से अधिक अंक देकर मूल्यांकन कार्य को पूर्ण करते हैं जिससे छात्र भी खुश और मूल्यांकन कर्ता भी खुश।

इस प्रकार बिना कक्षा में आए बिना विधिवत अध्ययन किए छात्रों की एक विशाल फौज प्रतिवर्ष देश में उत्पन्न हो रही है जिनका ज्ञान विज्ञान से दूर तक का कोई संबन्ध नहीं होता। पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति की इस समाज को शायद अब आवश्यकता भी नहीं रही क्योंकि तिकड़बाज ही सब जगह अपना परचम लहरा रहे हैं।

आजकल स्तरहीन निजी शिक्षण संस्थानों, स्ववित्त पोषित संस्थानों की दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि हो रही है जो शिक्षा के व्यवसाईकरण के विरुद्ध अच्छा ज्ञान परोसते हैं किन्तु उसे एक अच्छे लाभकारी व्यवसाय के रूप में तन्मयता से चलाते हैं। छात्रों से प्राप्त शिक्षण शुल्क ही संस्थान की प्राण वायु होती है। इसलिए इन संस्थानों में छात्रों के प्रवेश को बढ़ाने के लिए अद्भुत प्रयोग किए जाते हैं (शिक्षकों एवं कर्मचारियों को स्कूलों में भेज कर छात्रों की सूची प्राप्त करना और उनको टेलीफोन कर, ह्वाट्सऐप संदेश भेज कर आकर्षित करना, घर–घर जाकर छात्रों और उनके अभिभावकों को प्रभावित करना, प्रमुख स्थानों एवं आयोजनों में दुकानें लगाकर, बहुरंगी लुभावने एवं स्वर्णिम भविष्य के सपनों वाले पत्रकों को बांट कर छात्रों को प्रवेश के लिए बहलाना आदि आदि) जो कभी–कभी तो वर्ष भर चलाए जाते हैं और प्रवेश के समय ही कुछ छात्र यह मौखिक अनुबन्ध कर लेते हैं कि वे कक्षा में नहीं आएंगे और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। यह भी सुना गया है कि इस तरह के छात्रों से कहीं–कहीं तो अलग से कुछ लिया भी जाता है। आजकल कुछ वाक्पटु बेरोजगार सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सामूहिक प्रवेश दिलाने का व्यवसाय चला रखा है जो कमीशन के आधार पर इस तरह की संस्थाओं में समूह में छात्रों का प्रवेश कराते हैं और उन्हें बिना कक्षा में आए उत्तीर्ण का अंक पत्र प्रदान किए जाने की सहज शर्त का इमानदारी से परिपालन कराते हैं।

कक्षा में नियमित रूप से छात्रों के न आने के पीछे अन्य अनेक छोटे–छोटे कारण भी हैं जो समवेत होकर इस विकराल समस्या के जनक बन गए हैं।

रोजगार परक पाठ्यक्रम का न होनाः

आज शिक्षा के प्रति शिक्षार्थी और अभिभावक दोनों का दृष्टिकोण पूर्णतया बदल गया है। अब पुरानी मान्यताएँ यथा–सा विद्या या विमुक्तये, तमसो मा ज्योतिर्गमय, विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम्, योगः कर्मसु कौशलम्, किसी शिक्षार्थी का लक्ष्य नहीं रह गया है। अध्ययन का सीधा उद्येश्य नौकरी प्राप्त करना है। नौकरी के लिए इतनी अफरा–तफरी इसलिए है कि इसमें किसी प्रकार का पूंजी निवेश आवश्यक नहीं है। हर कोई गरीब–अमीर बिना किसी पूंजी निवेश के इसे प्रारम्भ कर सकता है। दूसरे इसमें कर्मचारी पर लाभ हानि का कोई दबाव नहीं होता है। तीसरे प्रायः इच्छानुसार काम करने की स्वतन्त्रता होती है। कुछ न करने और अन्य विघटनकारी कार्यों में संलग्न रहने पर प्रतिभा और दबदबा बढ़ाने का सुअवसर होता है। पर्याप्त मात्रा में वेतन सहित अवकाश प्राप्त करने की सुविधा होती है। यदि प्रशासनिक और न्यायिक शक्ति सम्पन्न सेवा मिल जाय तो उसका दुरुपयोग कर अतिरिक्त अर्जन या लोगों को उपकृत करने के सुअवसर भी होते हैं। सबसे बड़ी सुविधा महीने के अन्त में प्रत्येक दशा में

जीविकोपार्जन हेतु वेतन प्राप्त कर घर परिवार चलाने की सुरक्षा होती है। सेवा काल में मृत्यु की दशा में निकटतम संबन्धी के नौकरी प्राप्त करने का अवसर होता है तथा पद के अनुरूप सामाजिक प्रतिष्ठा तो स्वतः प्राप्त होती ही है। इसी कारण आज शिक्षार्थी और अभिभावक नौकरी की संभावना केन्द्रित विधिवत विचार कर पाठ्यक्रमों और शिक्षण संस्थाओं का चयन करते हैं। किन्तु यह चयन विकल्प सुसम्पन्न लोगों के लिए है।

भारत देश का गरीबी से वंशानुगत अटूट रिस्ता है जो आजादी के बाद सरकार द्वारा निरन्तर किए गए अनेकों प्रयासों के बाद भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। गरीब छात्र उन संस्थानों की तलाश करता है जहां शुल्क न्यूनतम हो या निःशुल्क हो, छात्रवृत्ति प्राप्त करने की सुविधा हो और कक्षा में नियमित रूप से आने की बाध्यता न हो जिससे वह वर्ष भर मजदूरी, खेती, या अन्य छोटे–मोटे धन्धे से भोजन पानी की व्यवस्था कर सके। बड़े–बड़े शहरों में चल रहे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश की वह कल्पना इसलिए नहीं करता कि उसकी फीस चुकाने की उसके परिवार की क्षमता नहीं होती है और शहर में रह कर वह पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होता है। इन विषम परिस्थितियों में भी वह पढ़ना इसलिए चाहता है कि हो सकता है कि कभी अंधे के हाथ बटेर लग जाए और आरक्षण आदि के सहारे कोई छोटी–मोटी नौकरी लग जाए तो जीवन का उद्धार हो ही जाएगा। आज के युग में नौकरियों की घटती संख्या, बिना पदों को भरे काम चलाने की परम्परा कौन सा अवसर लाएगी यह तो भविष्य ही बताएगा।

हर कोई बुद्धिजीवी, सामान्य जन यहां तक कि अनपढ़ भी यह समझ गया है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रचलित पाठ्यक्रम संतोषजनक और अध्येता को स्वावलम्बी बनाने लायक नहीं हैं और इसे रोजगार परक बनाने का दावा प्रत्येक शिक्षा नीति में किया जाता है। ये प्रयास बहुत कम सीमा तक धरातल पर उतरे हैं। प्रत्येक पुराने विषयों में पाठ्यक्रम आज भी 90 प्रतिशत वही हैं। कतिपय नवीन पाठ्यक्रमों ने रोजगार एवं स्वावलम्बन के मार्ग प्रशस्त किए हैं किन्तु वे या तो मंहगे हैं अथवा मांग के सापेक्ष्य अपर्याप्त हैं। यही कारण है कि छात्र–छात्राओं को अपने पाठ्यक्रम में न कोई रुचि है न ही उनमें उन्हें कोई भविष्य दिखता है। यह अरुचि और निराशाजनक स्थिति कक्षा में विद्यार्थियों के नियमित रूप से न आने का कारण बन जाती है। भारत में एक समय ऐसा था कि छात्रों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए श्रम एवं सिफारिस का उपयोग करना पड़ता था किन्तु अब परिस्थितियॉ बदली–बदली सी नजर आने लगी हैं। बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में सीटें ही खाली रह जाती हैं और कुछ छात्र बिना पाठ्यक्रम पूर्ण किए ही अपना नामांकन निरस्त करा देते हैं। छात्राओं के साथ विवाह का सुयोग बन जाने पर ऐसा प्रायः हो ही जाता है।

भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है किन्तु वह धीरे–धीरे कठिन श्रम, न्यूनतम लाभ, प्राकृतिक आपदाओं से आच्छादित, मजदूरों की अनुपलब्धि, कृषि उपकरणों की बढ़ती कीमत, रासायनिक उर्वरकों के नित बढ़ते मूल्य एवं उत्पाद के उचित मूल्य न मिलने के कारण बेबसी

का व्यवसाय बन गया है और गांव में रहना उसके पूर्वजन्मों का प्रायश्चित्त है क्योंकि जिस मकान में वह रहता है उसका भी आज तक उसके पास कोई अभिलेख नहीं है। उसे बचाने के लिए, रास्ते और पानी की निकासी हेतु नाली के लिए वह अंतहीन विवादों में उलझा रहता है। ऊपर से पटवारी, पुलिस, प्रशासक, सब कोई उसके लिए भगवान हैं जो जिस तरह चाहे झुका ले, चूस ले, अपमानित कर ले क्योंकि वह सबके अधिकार क्षेत्र में है और उसका कोई आरक्षण नहीं है, उसे हर चीज की हर परिस्थिति में कीमत चुकानी है। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भारी मात्रा में बी0एड0 कालेज खोले गए उसी अनुपात में यदि कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि शोध संस्थान और कृषि व्यवसायिक केन्द्र, कृषि आधारित कुटीर उद्योग खोले गए होते और नई पीढ़ी में कृषि के प्रति रुझान विकसित किया गया होता, कृषि से लाभ की संभावनाओं को धरातल पर उतारा गया होता तो आज बेरोजगारी का यह आलम नहीं होता। बिडंबना तो यह है कि दोनों संकट में हैं कृषि, खेती करने वाले लोगों के अभाव में और पढ़े लिखे नौकरी अभिलाषी, नौकरी के अभाव में और वह कहावत चरितार्थ होने के कगार पर है कि अंधा अंधैं ठेलियां दोनों कूप पड़न्त। जिस देश की युवा पीढ़ी किंकर्तव्यविमूढ़ होकर आगे बढ़ेगी वहां संपन्न और विपन्न के बीच की खांई कितनी गहरी होगी इसका आकलन तो भविष्य ही करेगा।

बिना शिक्षण संस्थानों में गए ज्ञानार्जन की सुविधाः

भारत में तकनीकी उन्नति, इण्टरनेट की सुविधा, डिजिटलाइजेशन, गूगल पर उपलब्ध ई–कन्टेंट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निःशुल्क आनलाइन उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्री, आन लाइन रिकार्डेड व्याख्यान, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुलभ पाठ्य सामग्री और आन लाइन क्लास की व्यवस्था, यूट्यूब, कोर्सेरिया और उडेमी, वेव्स जैसी वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं, कितृम बौद्धिकता आधारित क्लास 365, एबजार्ब एलएमएस, डोकेबो आदि ने छात्रों को घर बैठे जो स्तरीय अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है उससे जागरूक छात्रों की कुछ सीमा तक आवश्यकता पूर्ति हो जाती है और वे शिक्षण संस्थानों में आकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझने लगे हैं। आजकल आन लाइन ई–लाइब्रेरी से पुस्तकें भी उपलब्ध हैं जिन्हें आसानी से डाउनलोड कर निःशुल्क पढ़ा जा सकता है। इनके लिए मंहगे कम्प्यूटर या लैपटाप की आवश्यकता भी नहीं रह गई है। यह कार्य एक मोबाइल से भी संभव हो जा रहा है। कुछ सीमा तक ये सारी सुविधाएं जिनका होना नितांत उपयोगी और आवश्यक है, कक्षा में छात्रों की घटती संख्या के लिए उत्तरदाई बने हैं। उन्हें कक्षा में इन सुविधाओं के होते हुए भी आकर्षित करने का एक मात्र उपाय यह है कि अति कुशल, कुशाग्रबुद्धि शिक्षक शिक्षण कार्य में जोड़े जांय जिन्हें उपयुक्त वेतन दिया जाय जिससे वे पूरे श्रम से शिक्षण कार्य करें और छात्रों को उनसे कुछ सीखने की लालसा बनी रहे। बेरोजगारी की मार से लहूलुहान, 10–20 हजार मासिक वेतन पर विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक कुछ दिनों में एक ऐसी कब्र खोदेंगे जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षण संस्थान दोनों समाधिस्थ हो जांएगे और 2035 तक

उच्च शिक्षा में जीईआर 50 प्रतिशत तक प्राप्त करने के लक्ष्य[8] के संकल्प एवं सपने का राम नाम सत्य हो जाएगा।

कोचिंग संस्थानों की बढ़ती लोकप्रियताः

कुछ प्रतिभाशाली युवकों जिन्हें योग्यता के बावजूद नौकरी का अवसर नहीं मिला अथवा कुछ परिश्रमी शिक्षक जिन्हें योग्यता के अनुरूप वेतन वाली नौकरी नहीं मिली उन्होंने बच्चों को अपने घर पर स्कूल या कालेज के समय के बाद के समय में कम फीस पर मेहनत से पढ़ाना प्रारम्भ किया जिसका परिणाम उत्साह वर्धक रहा। इसी के व्यापक पैमाने पर परिष्कृत एवं संस्थागत संगठन ने कोचिंग का स्वरूप ग्रहण किया। इन कोचिंग संस्थानों ने कठिनाई से प्रवेश मिलने वाले पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश दिलाने और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम प्रतिष्ठित नौकरियों को दिलाने को अपना लक्ष्य बनाया। उनका पाठ्यक्रम निर्मित किया और आस–पास या दूर–दराज के क्षेत्रों से योग्यतम शिक्षकों को नियुक्त कर अध्यापन प्रारम्भ किया जिनकी अपनी प्रतिष्ठा बनी और छात्रों ने भी सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए।

दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों में शिक्षण कार्य के प्रति शिक्षकों में लापरवाही बढ़ती गई। नियामक संस्थाएं एवं अधिकारी उन पर नियंत्रण खोने लगे। शिक्षकों के रिक्त पद बिना भरे काम चलाऊ व्यवस्था की जाने लगी। परिणामतः छात्रों ने उपाधियां प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में नामांकन करवाने और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नौकरियॉ प्राप्त करने को अपना मार्ग बना लिया। आज ये कोचिंग संस्थान कक्षाओं में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को इस स्थिति को समझ कर गुणवत्तापूर्ण पठन–पाठन, नियमित कक्षा संचालन करने के लिए कृत संकल्प होना होगा अन्यथा अच्छे दिनों की कल्पना दिवा स्वप्न सदृश होगी।

कुल मिला कर हम एक भयावह स्थिति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिस देश के युवा पीढ़ी का शिक्षा से अनुराग समाप्त हो जाएगा उसके उज्जवल भविष्य की कल्पना भी मिथ्या है। हमें विश्व में अग्रगण्य स्तर के वैज्ञानिक, गणितज्ञ, साहित्यकार, इतिहास विद्, अभियन्ता, नीति निर्धारक, राजनयिक, चिकित्सक, शिक्षक और अति कुशल कर्मियों की आवश्यकता होगी जिसके लिए गुणवान, निपुण, स्वस्थ्य, सक्षम और प्रतिभाशाली नई पीढ़ी का सृजन करना होगा। आजकल उत्पन्न हो रहे ज्ञानहीन, कौशल हीन, अयोग्य उपाधिधारियों को एक सिरे से नकारना होगा जिससे लापरवाहों की बढ़ती जमात पर सद्यः बिराम लग सके। शिक्षा हेतु शिक्षक के चयन में जाति, धर्म, आरक्षण के व्यामोह से ऊपर उठ कर मात्र योग्यता को ही आधार बनाना होगा। शिक्षकों को यह स्वीकार कर कि शिक्षा में आई गिरावट, कक्षा में घटती छात्रों की संख्या के पीछे उनका भी योगदान है, अपने में सुधार लाना होगा। शिक्षण कार्य न तो व्यवसाय है, न

रोजगार, न ही जीविका चलाने का साधन; इसमें समर्पण, रुचि, अध्यवसाय, और कर्तव्यबोध आवश्यक है क्योंकि उससे राष्ट्र के भविष्य निर्माण को दिशा मिलती है। प्रबन्धकीय, प्रशासनिक और सरकार के स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह की शुचिता बनाये रखने का प्रत्येक स्तर पर प्रयत्न होना चाहिए। शिक्षण संस्थानों की सतत गहन निगरानी होनी चाहिए और उन संस्थानों को जहां नकल करा कर छात्रों को उत्तीर्ण किया जाता हो, जहां बिना कक्षा में आए छात्रों को परीक्षा में बैठने की आजादी दी जाती हो, जहां नियमित अध्यापन न होता हो, जहां मानक स्तर से कम वेतन पर शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराया जाता हो, जहां शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते हों, जहां जाति–धर्म के आधार पर नियुक्त अयोग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता हो, जहां उपाधियां बेंची जाती हों, जहां निर्धारित मानक के संसाधन न हों तुरन्त बन्द करना चाहिए। कदाचित् यह भी ध्यान रखना होगा कि साक्षर और पढ़ा लिखा तो पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए किन्तु सभी का परास्नातक होना, सभी का पी–एच0 डी0 उपाधि धारी होना आवश्यक नहीं है। शीर्ष स्तर की उच्च शिक्षा देने का प्रयास आंख मूंद कर नहीं, आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए।

छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों एवं संस्थानों में प्रवेश लेने के पूर्व अपने परिवार की आर्थिक स्थिति और स्वयं की शारीरिक–बौद्धिक क्षमता की गहन समीक्षा के उपरान्त ऐसे पाठ्यक्रम और संस्थान का चयन करना चाहिए कि यदि सफलता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने एवं उपाधि प्राप्त कर लेने के उपरान्त उन्हें नौकरी न मिले तो भी उपार्जित ज्ञान और कौशल से वे अपनी जीविका चला सकें। उद्येश्य हीन अनुपयोगी पढ़ाई पढ़ने के नाम पर समय नष्ट न करें। इससे अनुपयोगी पाठ्यक्रमों का स्वतः अन्त हो जाएगा। सरकार को सभी शिक्षण संस्थानों को यह स्वायत्तता देनी चाहिए कि वे समाज और समय की मांग के अनुरूप आवश्यक नवीन रोजगारपरक एवं कौशलपरक पाठ्यक्रमों का स्वतः निर्माण कर अध्यापन एवं प्रशिक्षण प्रदान करा सकें। सरकारी तंत्र उनकी गुणवत्ता, संसाधनों की समीक्षा और परिणामों की विवेचना कर समय पर उचित निर्णय लेता रहे।

टिप्पड़ियॉ एवं संदर्भः

1. केन्द्रीय विश्वविद्यालय भारत के संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित होते हैं। इनकी देश व्यापी मान्यता होती है। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैंः 1. सामान्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय जो कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून आदि में उपाधियां प्रदान करते हैं। 2. विशिष्ट केन्द्रीय विश्वविद्यालय जो विशिष्ट शैक्षणिक या व्यावसायिक क्षेत्रों में यथा भाषा, संस्कृति अथवा प्रौद्योगिकी में उपाधियां प्रदान करते हैं। जैसे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय। 3. मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्रीय विश्वविद्यालय जो आनलाइन माध्यम से शिक्षण की सुविधा और लचीले ढंग से उपाधियां प्रदान करते हैं जिनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त

विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय आदि हैं।

2. विभिन्न राज्यों की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियम से होता है। इनकी वित्तीय व्यवस्था भी राज्यों की सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों के राज्यपाल इनके कुलाधिपति होते हैं।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसी उच्च शिक्षण संस्थान को मानित विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। ये किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षण और शोध का संचालन कर उपाधियां प्रदान करते हैं जो सर्वमान्य होती हैं।

4. निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा एक विशेष अधिनियम से की जाती है जिनका प्रबन्धन एवं वित्तीय दायित्व किसी सोसाइटी, ट्रस्ट अथवा निकाय पर होता है। निजी आर्थिक संसाधनों पर निर्भर रहने के कारण इनमें शुल्क अधिक होते हैं तथा इन्हें शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता अधिक प्राप्त होती है।

5 https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails'aspx?Noted=154537&ModuleId=3

6. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोआपरेटिव्स, 21 जून 2025.

7. www.education.gov.in PIB2102789PDF

8. न्यू एजुकेशन पालिसी 29.7.2020